परिपत्र सं. 6 /2024

फा. सं. 275/4/2024-आईटी (बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

विषय: आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114ककक के अनुसार पैन के निष्क्रिय होने के परिणामों के संबंध में दिनांक 28.03.2023 के परिपत्र संख्या 3 के आंशिक संशोधन- के संबंध में।

बोर्ड द्वारा जारी 2023 *का परिपत्र संख्या* 3 *दिनांक* 28.03.2023 में *पैन के निष्क्रिय होने के परिणामों का* दिया गया *विवरण निम्नानुसार है:*

"आयकर नियमावली, 1962 (नियमावली) के नियम 114ककक को दिनांक 28 *मार्च,* 2023 *अधिसूचना सं. 2023 का 15 के माध्यम से प्रतिस्थापित करने वाली अधिसूचना के परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक व्यक्ति जो नियम 114ककक के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139ककक के अनुसार आधार संख्या को सूचित करने में विफल रहा है, पैन के निष्क्रिय होने के परिणामस्वरूप उसे निम्नलिखित परिणामों का सामना करना पड़ेगा:*

(i) अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय कर या उसके हिस्से की किसी भी राशि की वापसी उसे नहीं की जाएगी;

(ii) नियम 114ककक के उप-नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से शुरू होकर पैन सक्रिय होने वाली तारीख तक की अवधि के लिए ऐसे प्रतिदाय पर उसे ब्याज देय नहीं होगा;

(iii) जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVII-ख के तहत कर कटौती योग्य है, इस तरह के कर की धारा 206कक के प्रावधानों के अनुसार, उच्च दर पर कटौती की जाएगी;

(iv) जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में अध्याय XVII-खख के तहत स्रोत पर कर संग्रहणीय है, इस तरह के कर को धारा 206गग के प्रावधानों के अनुसार, उच्च दर पर एकत्र किया जाएगा।"

2. *आयकर नियमावली*, 1962 *के नियम* 114ककक *के उप-नियम* (4) *के अनुसार, उपरोक्त परिणाम* बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होंगे। बोर्ड ने परिपत्र संख्या 2023 का 03 दिनांक 28 मार्च, 2023 के माध्यम से *निर्दिष्ट किया था कि ये परिणाम* 1 *जुलाई*, 2023 से प्रभावी होंगे *और* पैन सक्रिय *होने तक जारी* रहेंगे।

3. करदाताओं से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें नोटिस प्राप्त हुए हैं जिनमें यह सूचित किया गया है कि जहां कटौती/संग्रह करने वाले व्यक्तियों के पैन निष्क्रिय थे, वहां लेन-देन करते समय उन्होंने टीडीएस/टीसीएस की 'कम कटौती/संग्रहण' में चूक की है। ऐसे मामलों में, चूंकि कटौती/संग्रहण उच्चतर दर पर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग द्वारा कटौतीकर्ताओं/संग्रहकर्ताओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा 200क अथवा धारा 206गख के तहत टीडीएस/टीसीएस विवरणियों का प्रसंस्करण करते समय जैसा भी मामला हो, मांगें उठाई गई हैं।

4. ऐसे कटौतीकर्ताओं/संग्रहकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली शिकायतों का निवारण करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने परिपत्र सं. 2023 का 3 में आंशिक संशोधन करते हुए और इसके अनुक्रम में, एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि 31.03.2024 तक दर्ज किए गए लेनदेन के लिए और उन मामलों में जहां पैन 31.05.2024 को या उससे पहले (आधार के साथ लिंकेज के परिणामस्वरूप) सक्रिय हो जाता है, कटौतीकर्ता/संग्रहणकर्ता पर धारा 206कक/206गग के तहत कर कटौती/संग्रह करने की कोई देयता नहीं होगी, जैसा भी मामला हो, और अधिनियम के अध्याय XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अन्य प्रावधानों में अधिदेशित कटौती/संग्रह लागू होगा।

(दिनेश घारू)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23095461

प्रतिलिपि:-

अंग्रेजी पाठानुसार